क्रम संख्या–100 (2) पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 21 अक्टूबर, 2020 ई0

आश्विन 29, 1942 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 377/XXXVI (3)/2020/61(1)/2020

देहरादून, 21 अक्टूबर, 2020

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020'** पर दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड राज्य का **अधिनियम संख्याः 25 वर्ष, 2020** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25, वर्ष 2020)

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2017) को अग्रेत्तर संशोधित करने के लिए–

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्कतरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:

संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय,

(क) धारा 2, 12 और 14 में उल्लिखित उपबंध दिनांक 30 जून, 2020 को प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे;

(ख) धारा 11 में उल्लिखित उपबंध दिनांक 18 मई, 2020 को प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे;

(ग) धारा 13 में उल्लिखित उपबंध दिनांक 31 मार्च, 2020 को प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे;

(घ) धारा 3 से 10 और धारा 15 में उल्लिखित उपबंध उस तारीख से प्रवृत होंगे, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे:

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न–भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबन्ध के प्रवृत होने के प्रति निर्देश के रूप में किया जायेगा।

धारा 2 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे एतस्मिनपश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 में, खंड (114) में, उपखंड (ग) और (घ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड प्रतिस्थापित कर दिए जायेंगे, अर्थात्:–

"(ग) दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव;

(घ) लद्दाख;"।

धारा 10 का संशोधन

3. "मूल अधिनियम" की धारा 10 में, उपधारा (2) में, खंड (ख), (ग) और (घ) में, "माल" शब्द के पश्चात् "या सेवाओं" शब्द रख दिए जायेंगे।

धारा 16 का संशोधन

4. "मूल अधिनियम" की धारा 16 में, उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्:–

"(4) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उस वित्तीय वर्ष के, जिससे ऐसा बीजक या नामे नोट संबंधित है, अंत के अगले सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी के दिए जाने की देय तारीख या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने, इनमें से जो भी

पूर्वतर हो, के पश्चात् माल या सेवाओं या दोनों के पूर्ति के लिए किसी बीजक या नामे नोट के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार नहीं होगा''।

धारा 29 का संशोधन

5. ''मूल अधिनियम'' की धारा 29 में, उपधारा (1) में, खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

''(ग) कराधेय व्यक्ति धारा 22 या धारा 24 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं रह जाता है अथवा धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन स्वेच्छा से लिए गये रजिस्ट्रीकरण से बाहर आने का इरादा रखता है''।

धारा 30 का संशोधन

6. ''मूल अधिनियम'' की धारा 30 में, उपधारा (1) में, परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

''परन्तु ऐसी अवधि, पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर, और लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से,

(क) यथास्थिति, अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त द्वारा, तीस दिन से अनधिक अवधि के लिए;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट अवधि के अतिरिक्त, आयुक्त द्वारा तीस दिन से अनधिक अग्रेत्तर अवधि के लिए, बढाई जा सकती है''।

धारा 31 का संशोधन

7. ''मूल अधिनियम'' की धारा 31 में, उपधारा (2) में, परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

''परन्तु सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा,–

(क) सेवा या पूर्ति के प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकती है, जिनके सम्बन्ध में, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जैसा कि विहित किया जाये, कर बीजक जारी किया जाना होगा;

(ख) उसमे उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन सेवाओं के प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकती है, जिनके सम्बन्ध में–

(i) पूर्ति के सम्बन्ध में जारी किया गया कोई अन्य दस्तावेज कर बीजक समझा जायेगा; या

(ii) कर बीजक जारी नहीं किया जायेगा''।

धारा 51 का संशोधन

8. ''मूल अधिनियम'' की धारा 51 में,

(क) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्:–

''(3) स्रोत पर कर कटौती का प्रमाण पत्र, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जैसा कि विहित किया जाए, जारी किया जायेगा''।

(ख) उपधारा (4) विलोपित कर दी जायेगी।

धारा 122 का संशोधन

9. ''मूल अधिनियम'' की धारा 122 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित कर दी जाएगी; अर्थात्–

"**(1क)** कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के खंड (i), (ii), (vii) या खंड (ix) के अधीन आच्छादित सम्व्यवहार का लाभ प्रतिधारित करता है और जिसकी प्रेरणा से ऐसे संव्यवहार संचालित होते हैं, अपवंचित कर, या उपयोजित या अग्रेषित इनपुट कर प्रत्यय, के समतुल्य रकम की शास्ति के लिए दायी होगा"।

धारा 132 का संशोधन

10. "मूल अधिनियम" की धारा 132 में, उपधारा (1) में,

(क) "जो निम्नलिखित में से किसी दंड को कारित करता है," शब्दों के स्थान पर "जो निम्नलिखित में से कोई भी अपराध कारित करता है या कारित कराता है और उससे उत्पन्न लाभ को प्रतिधारित करता है," शब्द रख दिए जायेंगे।

(ख) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

"(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट बीजक या बिल का प्रयोग कर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करता है अथवा बिना किसी बीजक या बिल के कपटपूर्वक इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करता है,";

(ग) खंड (ङ) में, ",कपट से इनपुट कंर प्रत्यय की प्राप्ति" शब्द विलोपित कर दिया जायेगा।

धारा 140 का संशोधन

11. "मूल अधिनियम" की धारा 140 में, दिनांक 01 जुलाई, 2017 से,–

(क) उपधारा (1) में, "अपने इलेक्ट्रानिक जमा खाता में, नियत दिन से ठीक पूर्ववर्ती दिन को समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित विवरणी, जिसे उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रस्तुत किया गया है, मूल्यवर्धित कर, यदि कोई हो, की रकम के प्रत्यय को अग्रनीत करने के लिए हकदार होगा:" शब्दों के स्थान पर "अपने इलेक्ट्रानिक जमा खाता में, नियत दिन से ठीक पूर्ववर्ती दिन को समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित विवरणी, जिसे उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन प्रस्तुत किया गया है, में अग्रेनीत मूल्यवर्धित कर के प्रत्यय की रकम, यदि कोई हो, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, लेने का हकदार होगा:" शब्द प्रतिस्थापित कर दिए जायेंगे और सदैव प्रतिस्थापित किये गए समझे जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) में, "पूंजी माल के संबंध में अनुपभुक्त इनपुट कर प्रत्यय की जमा अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में लेने का, जो विवरणी में अग्रनीत नहीं की है, उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन ऐसी विहित रीति में नियत दिन के तत्काल पूर्ववर्ती दिन लेने को समाप्ति अवधि के लिए हकदार होगा:" शब्दों के स्थान पर "पूंजी माल के संबंध में अनुपभुक्त इनपुट कर प्रत्यय की जमा अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में लेने का, जो उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन नियत दिन से ठीक पूर्ववर्ती दिन को समाप्त होने वाली अवधि हेतु दाखिल विवरणी में अग्रेनीत नहीं की गयी है, ऐसे

समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, हकदार होगा:" शब्द प्रतिस्थापित कर दिए जायेंगे और सदैव प्रतिस्थापित किये गए समझे जायेंगे।

(ग) उपधारा (3) में, "चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, के विक्रय में लगा है, किन्तु जो इस अधिनियम के अधीन कर के दायी हैं (या जहॉ व्यक्ति मालो के विक्रय के समय इनपुट कर प्रत्यय के लिए हकदार था), अपने इलेक्ट्रॉनिक जमा खातों में स्टॉक में धारित इनपुटों और स्टॉक में धारित अर्ध–निर्मित माल या निर्मित मालों में अंतर्विष्ट इनपुटों के संबंध में नियत दिन को मूल्यवर्धित कर, यदि कोई हो, के प्रत्यय के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, हकदार होगा" शब्दों के स्थान पर "चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो या ऐसे मालों, जिन पर राज्य में उनके विक्रय के प्रथम बिन्दु पर कर लगाया गया है और उनके पश्चात्वर्ती विक्रय विद्यमान विधि के अधीन राज्य में कर के दायी नहीं है, के विक्रय में लगा है, किन्तु जो इस अधिनियम के अधीन कर के दायी हैं या जहॉ व्यक्ति मालो के विक्रय के समय इनपुट कर प्रत्यय के लिए हकदार था, यदि कोई हो, नियत दिन को स्टॉक में धारित इनपुटों और स्टॉक में धारित अर्ध–निर्मित या निर्मित मालों में अंतर्विष्ट इनपुटों के संबंध में मूल्यवर्धित कर के प्रत्यय को अपने इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, लेने का हकदार होगा" शब्द प्रतिस्थापित कर दिए जायेंगे और सदैव प्रतिस्थापित किये गए समझे जायेंगे।

(घ) उपधारा (5) में, "कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियत दिन को या उसके पश्चात् प्राप्त इनपुटों के संबंध में अपने इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में मूल्यवर्धित कर, यदि कोई हो, की जमा को लेने का हकदार होगा, किन्तु जिसके संबंध में कर का संदाय विद्यमान विधि के अधीन पूर्तिकार द्वारा किया गया है, इस शर्त के अधीन रहते हुए" शब्दों के स्थान पर "कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियत दिन को या उसके पश्चात् प्राप्त इनपुटों, जिसके संबंध में कर का संदाय विद्यमान विधि के अधीन पूर्तिकार द्वारा किया गया है, के संबंध में अपने इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में मूल्यवर्धित कर की जमा, यदि कोई हो, को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, इस शर्त के अधीन रहते हुए लेने का हकदार होगा," शब्द प्रतिस्थापित कर दिए जायेंगे और सदैव प्रतिस्थापित किये गए समझे जायेंगे।

(ङ) उपधारा (6) में, "निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए नियत दिन को अपने स्टॉक में अंतर्विष्ट अर्ध–निर्मित या निर्मित मालों के निवेश को स्टॉक में धारित स्टॉक और निवेश के संबंध में पात्र शुल्क की जमा अपने इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा" शब्दों के स्थान पर "नियत दिन को स्टॉक में धारित इनपुटों और स्टॉक में धारित अर्ध–निर्मित या निर्मित मालों में अंतर्विष्ट इनपुटों के संबंध में मूल्यवर्धित कर के प्रत्यय को अपने इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, लेने का हकदार होगा" शब्द प्रतिस्थापित कर दिए जायेंगे और सदैव प्रतिस्थापित किये गए समझे जायेंगे।

धारा 168 का संशोधन

12. "मूल अधिनियम" की धारा 168 में, दिनांक 01 जुलाई, 2017 से, उपधारा (2) विलोपित कर दी जाएगी और सदैव विलोपित की गयी समझी जाएगी।

नई धारा 168क का अंतःस्थापन

13. "मूल अधिनियम" की धारा 168 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित कर दी जाएगी, अर्थातः–

विशेष परिस्थितियों में समय सीमा बढ़ाने की सरकार की शक्ति

168क. (1) इस अधिनियम में किसी अन्य बात के होते हुए भी, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी कार्यवाहियों के संबंध में, जो किसी अप्रत्याशित घटना के कारणवश पूर्ण नहीं की जा सकी है अथवा जिनका अनुपालन नहीं किया जा सका है, इस अधिनियम में निर्दिष्ट या निर्धारित या अधिसूचित समय–सीमा को विस्तारित कर सकती है।

(2) उप–धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना जारी करने की शक्ति में ऐसी अधिसूचना को ऐसी तारीख, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व की नहीं होगी, से भूतलक्षी प्रभाव दिया जाना सम्मिलित है।

स्पष्टीकरणः– इस धारा के उद्देश्यों के लिए, अभिव्यक्ति "अप्रत्याशित घटना" से युद्ध, महामारी, बाढ़, सूखा, आग, चक्रवात, भूकंप या प्रकृति द्वारा उत्पन्न कोई अन्य आपदा या इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के क्रियान्वयन को अन्यथा प्रभावित करने वाले मामले अभिप्रेत हैं।

धारा 172 का संशोधन

14. "मूल अधिनियम" की धारा 172 में, उपधारा (1) में, परन्तुक में "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पांच वर्ष" शब्द रख दिए जायेंगे।

अनुसूची 2 का संशोधन

15. "मूल अधिनियम" की अनुसूची 2 में, प्रस्तर 4 में, दिनांक 01 जुलाई, 2017 से,–

(क) खंड (क) में, ";जो विचारणीय है या नहीं" शब्द विलोपित कर दिए जायेंगे और सदैव विलोपित किये गए समझे जायेंगे।

(ख) खंड (ख) में, "चाहे वह किसी प्रतिफल के लिए हो या न हो," शब्द विलोपित कर दिए जायेंगे और सदैव विलोपित किये गए समझे जायेंगे।

निरसन और व्यावृत्ति

16. (1) उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तराखण्ड अध्यादेश सं0 1 वर्ष 2020) एवं उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तराखण्ड अध्यादेश सं0 8 वर्ष 2020), एतद्द्वारा, निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपरोक्त अध्यादेशों के अधीन की गयी कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

आज्ञा से,

प्रेम सिंह खिमाल,
सचिव।

कारण एवं उद्देश्यों का कथन

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 राज्य सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की अंतःराज्यीय पूर्ति पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए प्रख्यापित किया गया है।

2. भारत सहित दुनिया के कई देशों में महामारी कोविड–19 के प्रसार के दृष्टिगत, समय सीमा के विस्तार सहित उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के कतिपय प्रावधानों में छूट दिया जाना अनिवार्य है तथा माल और सेवा कर विधि में व्यापार सुविधा, सरलीकरण एवं प्रवर्तन उपायों से संबंधित संशोधनो की आवश्यकता है। इस परिप्रेक्ष्य में किसी डेबिट नोट के विरूद्व इनपुट टैक्स क्रेडिट लिए जाने हेतु बीजक के जारी किये जाने की तारीख से डेबिट नोट को जारी किये जाने की तारीख को अलग किये जाने, पंजीयन प्रमाण पत्र को पुनः स्थापित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र की अवधि को बढ़ाये जाने, टी0डी0एस0 कटौती के फलस्वरूप टी0डी0एस0 प्रमाण पत्र समय पर जारी नहीं किये जाने के फलस्वरूप विलम्ब शुल्क विषयक प्रावधान को विलोपित किये जाने, कतिपय संव्यवहारों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले लाभ को प्रतिधारित करने वाले व्यक्ति, जिसकी प्रेरणा से ऐसे संव्यवहार संचालित होते हैं, को शास्ति तथा दण्ड हेतु दायी बनाये जाने, बिना बीजक के इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपभोग को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाये जाने तथा कठिनाईयों के निवारण हेतु निर्गत किये जाने वाले आदेश की अवधि तीन वर्ष से बढ़ाकर पाँच वर्ष किये जाने विषयक संशोधन प्रस्तावित किये जा रहे हैं।

3. उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन अपेक्षित है।

4. प्रस्तुत विधेयक उक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

त्रिवेन्द्र सिंह रावत
वित्त मंत्री